मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 25-17/2011/10-3 भोपाल, दिनांक: 6 फरवरी, 2014

प्रति,

1. समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य/वन्यप्राणी परिक्षेत्र (पदाभिहित अधिकारी)
2. समस्त वन मण्डलाधिकारी, सामान्य/उप संचालक/सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (प्रथम अपील अधिकारी)
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त/क्षेत्र संचालक/संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)

विषय : सेवा क्रमांक 10.3- वन्यप्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान के संबंध में निर्देश।

संदर्भ: म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13 / 2012/61 / लो.से.प्र./ पी.एस.जी. -10 दिनांक 10.04.2013

-----------------:0:-----------------

1. सेवा का उद्देश्य:- इस सेवा का उद्देश्य वन्यप्राणियों द्वारा पशु-हानि की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना है। वन्यप्राणियों द्वारा पशु-हानि के मामले में राहत देने का कार्य वन विभाग द्वारा सामान्यत: स्वप्रेरणा से प्रारंभ किया जाना चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश स्वप्रेरणा से कार्यवाही नहीं होती है तो इस सेवा के अंतर्गत पशु मालिक द्वारा आवेदन दिया जा सकेगा।

2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा:- इस सेवा के लिये वन परिक्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे। इस सेवा हेतु समय-सीमा आवेदन दिनांक से 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।

3. आवेदन पत्र का प्रारूप:- इस सेवा के लिये आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में, सादे कागज पर भी आवेदन दिया जा सकता है।

4. पात्रता की शर्तें - पशुहानि से संबंधित राहत राशि के भुगतान के लिये आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

(i) घटना के 48 घंटे के अंदर समीपस्थ वन अधिकारी को लिखित/मौखिक सूचित किया गया हो।

(ii) मृत मवेशी को उसकी मृत्यु के स्थान से हटाया नहीं गया हो।

5. आवश्यक दस्तावेज - निकटतम वन अधिकारी को पशु हानि की घटना की 48 घंटे के अंदर सूचना देने की पावती (यदि उपलब्ध हो)।

6. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 में बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडिका-5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 धारा 5 (1) के अंतर्गत "परिशिष्ट-2" में दी जावेगी।

6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेगा और यदि आवेदन अपूर्ण है तो समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा।

6.4 आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी यथासंभव कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस अलर्ट किया जा सके।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी (संलग्न "परिशिष्ट-3") में किया जायेगा।

6.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा तथा आवेदक को सेवा प्रदाय की सूचना परिशिष्ट-5 में डी जावेगी।

6.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी आवेदक को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनिय, 2010 की धारा - 5(2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए, सूचना परिशिष्ट -6 में दी जावेगी।

7. लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी -

7.1 साफ्टवेयर पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा।

7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।

7.3 ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर प्रिंटआउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह <u>हार्डकॉपी पदाभिहित अधिकारी द्वारा</u> माह के प्रथम सोमवार (अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस ) को विशेष वाहक के माध्यम से <u>प्राप्त किया जाएगा।</u>

7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा साफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गए दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जाएगी।

7.5 लोक सेवा केंद्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।

7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु समय-सीमा में आवेदन का निराकरण करेगा।

7.7 सेवा प्रदाय की सूचना आवेदक को संलग्न परिशिष्ट-5 में दी जाएगी, जो की लोक सेवा केंद्र द्वारा साफ्टवेयर से निकाले गये प्रिंट आउट के माध्यम से प्रदान की जावेगी।

7.8 यदि कतिपय कारणों से पशु-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान दिया जाना संभव नहीं है तो ऐसे आवेदन पत्र को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा संलग्नित परिशिष्ट -6 में पारित किया जावेगा, इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजिटल रिपोजटरी, वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) पर संधारित की जाएगी। यह कार्यवाही निर्धारित अधिकतम समय-सीमा में ही संपादित की जाएगी।

7.9 लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजिटली साईन रिपोजटरी (www.mpedistrict.gov.in) से प्रिंटआउट निकालकर दिया जायेगा एवं प्रमाण-पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा -

*"प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है।*

हस्ताक्षर
लोक सेवा केन्द्र संचालक

8. सेवा प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया -

8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केंद्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका-6 अनुसार एवं लोक सेवा केंद्र में कंडिका-7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

8.3 पशुहानि के संबंध में आवेदन या सूचना प्राप्त होने के पश्चात् वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वयं अथवा उनके सहायक परिक्षेत्र अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर विस्तृत जांच करेंगे, स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा कर पंचनामा इत्यादि तैयार करेंगे तथा स्वामित्व का निर्णय करने के उपरांत भुगतान हेतु प्रकरण तैयार करेंगे।

8.4 तदोपरांत प्रकरण पशुधन विभाग के क्षेत्रीय प्राधिकारी की ओर प्रेषित किया जायेगा। पशुधन विभाग के क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जांच कर आवश्यक प्रमाणीकरण 7 कार्य दिवस में पदाभिहित अधिकारी की ओर प्रेषित किया जायेगा।

8.5 संबंधित पदाभिहित अधिकारी (वन परिक्षेत्र अधिकारी) द्वारा कंडिका 8.3 अनुसार प्राप्त प्रमाणीकरण एवं दस्तावेजों एवं स्थल निरीक्षण के आधार जांच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। प्रतिवेदन तैयार करते समय परिशिष्ट-4 में दर्शाये गए बिन्दुओं पर जानकारी का समावेश किया जाएगा। जांच प्रतिवेदन पर निर्णय लेकर नियमानुसार सेवा प्रदान करने के लिये वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

8.6 राहत राशि का निर्धारण राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जो कि वर्तमान में निम्नानुसार है -

(राशि रूपये में प्रति पशु अधिकतम)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | दुधारू पशु-<br>(क) भैंस/गाय/ऊँट<br>(ख) भेड़/बकरी | 16,400/- (रूपये सोलह हजार चार सौ)<br>1,650/- (रूपये एक हजार छः सौ पचास) |
| 2. | गैर दुधारू पशु -<br>(क) बैल/भैंसा/ऊँट/घोड़ा<br>(ख) बच्चा - गाय/भैंस/घोड़ा/ऊँट<br>(ग) गधा/खच्चर | 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार)<br>10,000/- (रूपये दस हजार)<br>10,000/- (रूपये दस हजार) |
| 3. | सुअर | 1,500/- (रूपये एक हजार पांच सौ) |
| 4. | बच्चा-सुअर/भेड़/बकरी/गधा | 250/- (रूपये दो सौ पचास) |

सहायता राशि वास्तविक क्षति के आकलन तक सीमित होगी। एक प्रभावित परिवार को अधिकतम एक बड़े दुधारू पशु के लिये या चार छोटे दुधारू पशुओं के लिये या एक बड़े शुष्क (ड्राउट) पशु के लिये या दो छोटे शुष्क (ड्राउट) पशु के लिये सहायता राशि दी जाएगी।

(नोट- राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों में परिवर्तन होने की दशा में राहत राशि की दरें तदानुसार लागू होंगी।)

8.7 उपरोक्त कंडिका 8.1 से 8.6 तक की कार्यवाही यथाशीघ्र परंतु समय सीमा (30 कार्य दिवस) में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. आवेदक को प्राप्त होने वाली राहत राशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में ई-पेमेंट/डी.डी./चेक के माध्यम से जमा करा दी जायेगी।

10. शुल्क- वन्यप्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि की सेवा प्राप्त करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केंद्र के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क केवल रु. 30/- जमा करना होगा।

11. आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिक्रमण- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा पशु-हानि के संबंध में जारी परिपत्र क्र.-एफ 25-17 / 2011/ 10-3 दिनांक 21.12.11 इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से निरस्त माना जायेगा।

12 अपील - आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा -

1. आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

2. आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेगी -

1. प्रथम अपील - प्रथम अपील वन मण्डलाधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक को आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। अपील अधिकारी 30 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।

1. द्वितीय अपील - प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी - वनसंरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक को प्रस्तुत की जाएगी

संलग्न- उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 6

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र.एफ 25-17/2011/10-3 भोपाल, दिनांक: 6 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि:-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मंत्रालय, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल
5. प्रमुख सचिव पशुचिकित्सा एवं पशुपालन विभाग, मंत्रालय भोपाल
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, भोपाल
8. संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, वैशाली नगर, भोपाल
9. समस्त संभागयुक्त, मध्यप्रदेश
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिलापंचायत, मध्यप्रदेश

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

परिशिष्ट-1

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010</u>

(सेवा क्रमांक 10.3 वन्यप्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि के भुगतान हेतु आवेदन का प्रारूप)

(यह आवेदन पत्र संबंधित पदाभिहित अधिकारी (परिक्षेत्र अधिकारी/प्राधिकृत उदकर्मचारी को) प्रस्तुत किया जाये)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | पशु मालिक का नाम | - | ------------------------------------------------ |
| **2.** | पशु मालिक के माता/पिता का नाम | - | ------------------------------------------------ |
| **3.** | पशु मालिक का पता | - | ----------------------------------------------- |
| **4.** | मृत पशु का प्रकार, उम्र एवं संख्या | - | ----------------------------------------------- |
| **5.** | घटना स्थल | - | ----------------------------------------------- |
| **6.** | घटना दिनांक एवं समय | - | ----------------------------------------------- |
| **7.** | ग्राम का नाम, जहां घटना घटी | - | ----------------------------------------------- |
| **8.** | ग्राम पंचायत का नाम | - | ----------------------------------------------- |
| **9.** | वन परिक्षेत्र/वनमण्डल का नाम | - | ----------------------------------------------- |
| **10.** | जिला | - | ----------------------------------------------- |
| **11.** | वन्यप्राणी जिसके द्वारा पशु को मारा गया | - | ----------------------------------------------- |
| **12.** | आवेदक द्वारा सूचना देने का दिनांक एवं समय | - | ----------------------------------------------- |
| **13.** | पशु मालिक का मोबाईल फोन नम्बर | - | ----------------------------------------------- |
| **14.** | पशु मालिक का बैंक खाता नम्बर, बैंक का नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड न. | - | ----------------------------------------------- <br> ----------------------------------------------- |

संलग्नक - (1) निकटम वन अधिकारी को पशु-हानि की घटना की 48 घंटे के अंदर सूचना देने की पावती (यदि उपलब्ध हो)।

पशु मालिक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

परिशिष्ट-2

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.3 वन्यप्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान)

धारा 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

| | | |
|---|---|---|
| **1.** पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता (मोबाईल न. एवं ईमेल आईडी) | - | ---------------------------------------------------<br>---------------------------------------------------<br>--------------------------------------------------- |
| **2.** आवेदक का नाम एवं पता | - | ---------------------------------------------------<br>---------------------------------------------------<br>--------------------------------------------------- |
| **3.** पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक | - | --------------------------------------------------- |
| **4.** निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख | - | -------------------------------------------------- |

स्थान .....................                                                        प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक....................................                                        नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

परिशिष्ट-3

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010</u>

(सेवा क्रमांक 10.3 वन्य प्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान)

नियम 16 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ..........................................................................

माह.........................वर्ष................................................

| क्रमांक | आवेदक का नाम एवं पता | सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है | आवेदन प्राप्ति दिनांक | निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख | आवेदन स्वीकृत/ निरस्त | पारित आदेश का क्रमांक, दिनांक एवं विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

परिशिष्ट-4

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010</u>

(सेवा क्रमांक 10.3 वन्यप्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि के भुगतान)

<u>जांच अधिकारी द्वारा जांच के समय समाहित किये जाने वाले अतिरिक्त बिन्दु</u>

**1.** पशु मालिक का नाम - ------------------------------------------------

**2.** पशु मालिक के माता/पिता का नाम - ------------------------------------------------

**3.** पशु मालिक का पता - ------------------------------------------------

**4.** मृत पशु का प्रकार, एवं उम्र - ------------------------------------------------

**5.** घटना स्थल - ------------------------------------------------

**6.** घटना दिनांक एवं समय - ------------------------------------------------

**7.** ग्राम का नाम, जहां घटना घटी - ------------------------------------------------

**8.** ग्राम पंचायत का नाम - ------------------------------------------------

**9.** वन परिक्षेत्र / वनमण्डल का नाम - ------------------------------------------------

**10.** जिला - ------------------------------------------------

**11.** वन्यप्राणी जिसके द्वारा पशु को मारा गया - ------------------------------------------------

**12.** आवेदक द्वारा सूचना देने का दिनांक एवं समय - ------------------------------------------------

**13.** पशु मालिक का मोबाईल फोन नम्बर - ------------------------------------------------

जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

परिशिष्ट-5

<u>मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010</u>

(सेवा क्रमांक 10.3 वन्य प्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान)

सेवा प्रदाय की सूचना का प्रारूप

कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी, ........................................................परिक्षेत्र.................................................

........म.प्र.

क्रमांक/..................................                                        दिनांक:...................................

प्रति,

..............................................

..............................................

..............................................

विषय:- वन्य प्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान।

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक .....................................

-----------

वन्यप्राणी से पशु-हानि के प्रकरण में राहत राशि के भुगतान हेतु आपसे प्राप्त संदर्भित आवेदन पत्र के निराकरण उपरांत, राहत राशि के रूप में रूपए.......................................का धनादेश/ डी.डी. क्रमांक......................दिनांक ................संलग्न प्रेषित है/ राशि रु. ......................................आपके बैंक खाता नंबर ...............................................में ई-पेमेंट द्वारा जमा करा दी गई है।

(                )

नाम

पदाभिहित अधिकारी

एवं

परिक्षेत्र अधिकारी,

.................... परिक्षेत्र

वनमंड......................

जिला.........................

परिशिष्ट-6

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.3 वन्य प्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान)

### आवेदन नामंजूर होने की स्थिति में आवेदक को दी जाने वाली सूचना का प्रारूप

(धारा 5(2) के अंतर्गत)

कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी, ....................................................परिक्षेत्र......................................म.प्र.
क्रमांक/.................................                                                    दिनांक:...................................

प्रति,

..............................................
..............................................
..............................................

विषय:- वन्य प्राणियों से पशु -हानि हेतु राहत राशि का भुगतान।
संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक ..................................

1. वन्यप्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत राशि के भुगतान संबंधी प्राप्त संदर्भित आवेदन पत्र विचारोपरांत, निम्नलिखित कारणों से नामंजूर किया गया है :-

(i)...........................................................

(ii)...........................................................

(iii)..........................................................

2. यदि आप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो श्री......................................................................... पद............................................. प्रथम अपील अधिकारी................................................................... (दूरभाष क्रमांक.......................................), के समक्ष इस आदेश की दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

(                    )
नाम
पदाभिहित अधिकारी
एवं
परिक्षेत्र अधिकारी,
................................ परिक्षेत्र
वनमंडल ..............................
जिला...................................